भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

E 163276

21 SEP 2007

1- यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण में पट्टाप्रदाता एतद्द्वारा कथित भूमि पर दिनांक 9 अक्टूबर 2007 से 25 वर्ष की अवधि के लिये पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान करता हूं।

2- यह कि इसके पक्षकार आपस में निम्नानुसार सहमत है :-

1. यह कि आवंटन निःशुल्क होगा।
2. उक्त आंवटित/आरक्षित भूमि का उपयोग आवंटन /आरक्षण प्रयोजन से भिन्न नही किया जा सकेगा।
3. आवटिंत भूमि 25 वर्ष के लिये लीज होल्ड बेसिस पर आवंटित की गई है, जिसे उक्त अवधि पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा।
4. उक्त आवंटित भूमि पर संस्था को 18 माह की अवधि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर प्रारम्भ करना होगा। निर्धारित समयावधि मे निर्माण कार्य पूर्ण कर संस्थान

(P. M. Shivram)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

5. प्रारम्भ नही होने की स्थिति में भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।
6. यह कि आवंटित भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।
7. उक्त भूमि पर निर्मित भवन अथवा प्रारम्भ की गई संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिये होगा और दुराशय से उसका दुर्भावनापूर्ण हस्तान्तरण आवंटिती के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नही किया जायेगा।
8. आंवटित भूमि एवं इस पर निर्मित परिसम्पति को संस्था आवंटित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अन्य को किसी भी प्रकार हस्तान्तरण नही कर सकेंगी।
9. संस्था द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने पर भूमि एवं इस पर निर्मित परिसम्पतियां राज्य सरकार में निहित हो जावेगी, जिसके लिये संस्था किसी प्रकार के मुआवजे का क्लेम नही कर सकेंगी।

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथ दिनांक को हस्ताक्षर किये हैं।

(P. M. Sharma)

हस्ताक्षरित पट्टेदार — सरकार की ओर से हस्ताक्षरित — जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़

साक्षी — साक्षी

1 रमेश वैष्णव बाडिंग — 1
2 समवाड़ 313206 उदयपुर (राज.) — 2

परिशिष्ठ

संस्था का नाम	ग्राम / तहसील	आ.नं.	आंवटित क्षैत्रफल	प्रयोजन	आदेश क. दिनांक
दी स्टुडेन्ट्स रिलिफ सोसायटी, डी-4/105-ए, चित्रकुट अजमेर रोड, जयपुर 302021	सेगवा भदेसर	124 मी.	5 बीघा	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना बाबत	कमांक/ राजस्व/ 12-3 (31)07/ आंवटन / 2099 दिनांक 9 अक्टू. 2007

(P. M. Sharma)

उप पंजीयक
भादसोड़ा
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय जिला कलेक्टर, चितौड़गढ़

क्रमांक / राजस्व / 12–3 (31) 07 / आवंटन / 2099 दिनांक 9 अक्टूबर, 2007

आदेश

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर के पत्र क्रमांक / प.रा. 7 (12) / प–1 / 1759 / वो. 3 / 51741 दिनांक 24.3.2007 से माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के अनुरूप निजी क्षेत्र की सहभागिता से पंचायत समिति मुख्यालय, भदेसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु दी स्टुडेन्ट्स रिलिफ सोसायटी जयपुर को अधिकृत किया गया है।

उपखंड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा भदेसर मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु संस्था की सहमति से ग्राम सेगवा की चारागाह आराजी नंबर 124 मी. रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि आवंटन के प्रस्ताव ग्राम पंचायत, पोटलाकलां के कोरम प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.9.2007 एवं अनापत्ति दिनांक 20.9.2007 के अभिशंसा के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं। उक्त चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम सेगवा की राजकीय बिलानाम आराजी नम्बर 1/6 मी. रकबा 10 बीघा मे से 5 बीघा भूमि प्रस्तावित की है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.2.2007 से निजी सहभागिता से स्थापित किये जाने वाले तकनीकी शिक्षण संस्थान हेतु राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कालेजों, धर्मशालाओं, चिकित्सालयों एवं अन्य सार्वजनिकोपयोगी भवनों के निर्माणार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि आवंटन के प्रावधान विभिन्न शर्तो के अधीन किये गये है, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निजी संस्था द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने हेतु अधिकतम 5 बीघा भूमि 25 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटन के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये गये है।

अतः उपखंड अधिकारी, निम्बाहेड़ा एवं ग्राम पंचायत, पोटलाकलां की अभिशंसा अनुसार ग्राम सेगवा में स्थित चारागाह आराजी नम्बर 124 मी. रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि को राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत चारागाह से खारिज कर राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कालेजों, धर्मशालाओं, चिकित्सालयों एवं अन्य सार्वजनिकोपयोगी भवनों के निर्माणार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के नियम 4–ए के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत समिति मुख्यालय, भदेसर पर निजी क्षेत्र की सहभागिता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संस्था दी स्टुडेन्ट्स रिलिफ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में 25 वर्ष की लीज अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन निःशुल्क आवंटन की जाती है। उक्त चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम सेगवा की राजकीय बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1/6 रकबा 10 बीघा में से 5 बीघा भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के

--2

उप पंजीयक
भादसोड़ा
जिला–चित्तौड़गढ़(राज.)

प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक चारागाह हेतु आरक्षित (सेट-अपार्ट) की जारी है।

शर्तें :

1. उक्त आवंटित/आरक्षित भूमि का उपयोग आवंटन/आरक्षण प्रयोजन से भिन्न नहीं किया जा सकेगा।
2. आवंटित भूमि 25 वर्ष के लिए लीज होल्ड बेसिस पर आवंटित की गई है, जिसे उक्त अवधि पूर्ण हाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।
3. उक्त आवंटित भूमि पर संस्था को 18 माह की अवधि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर प्रारम्भ करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण कर संस्थान प्रारम्भ नहीं होने की स्थिति में भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।
4. आवंटित भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।
5. आवंटित भूमि एवं इस पर निर्मित परिसम्पत्ति को संस्था आवंटन अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अन्य को किसी भी प्रकार हस्तानान्तरण नहीं कर सकेगी।
6. संस्था द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर भूमि एवं इस पर निर्मित परिसम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेगी, जिसके लिए संस्था किसी प्रकार के मुआवजे का क्लेम नहीं कर सकेगी।
7. आवंटन आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में संस्था को अपने खर्च पर लीज डीड का निष्पादन करवा पंजीयन करवाना होगा।

जिला कलेक्टर
चितौड़गढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर
3. संभागीय आयुक्त, उदयपुर संभाग, उदयपुर
4. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग
5. उपखंड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
6. तहसीलदार, भदेसर के पास प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के साथ-साथ नक्शे में भी आवश्यक तरमीम करें।
7. अध्यक्ष, दी स्टुडेन्ट्स रिलिफ सोसायटी, डी-4/105-ए, चित्रकुट अजमेर रोड़ (200 फीट बाई पास) जयपुर-302021
8. आदेश पंजिका

प्रभारी अधिकारी(राजस्व)
(अतिरिक्त कलेक्टर प्रशा.)
चितौड़गढ़

उप पंजीयक
भादसोड़ा
जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

नकशा किशतवार मौजा- सेगवा
तहसील- भदेसर जिला- चित्तौड़गढ़

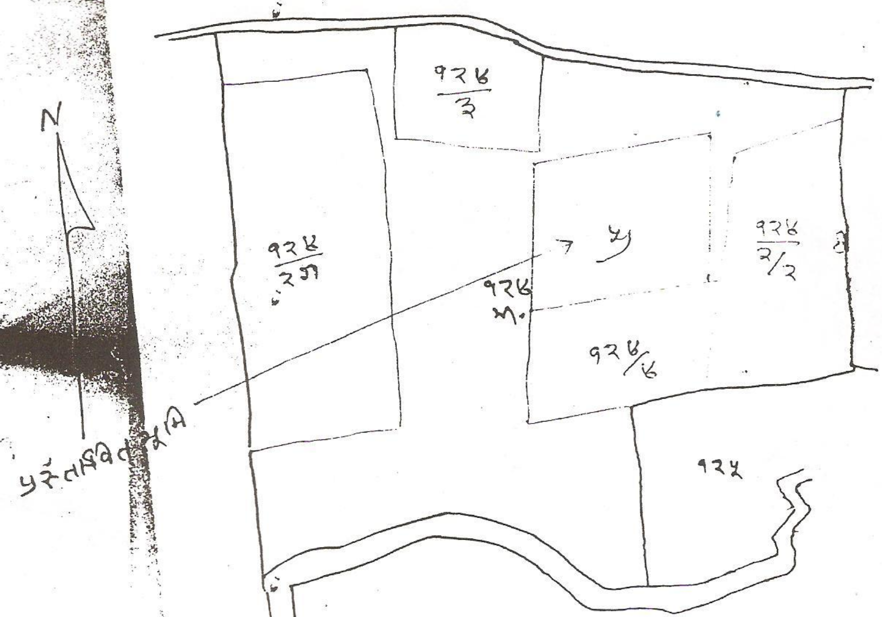

पटवारी [illegible] कलां
[illegible] चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप तहसीलदार
भादसोड़ा

शा. का.
[illegible] नायक
भादसोड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

50.28 [illegible] 26/10/07

6 ~~रु~~ ~~5~~ 6नट

~~विलिपिक~~ ~~पत्र~~ 50

श्री जयपुर जयपुर

प्रेमनारायण शर्मा उम्र 212

जयपुर

[illegible]

[illegible], वि. [illegible]

[illegible]

उपरोक्त निष्पादनकर्ता को निम्न गवाहान ने पहचाना-

1. श्री कान्तिचन्द पिता श्री जगजीवनलाल
   उम्र 60वर्ष शर्मा
   निवासी बापु नगर जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर(राज)
2. श्री किशनलाल नारायणराम
   उम्र 72वर्ष जाट
   निवासी खातीपा वास जयपुर तहसील जयपुर। जिला जयपुर (राज.)

किशान लाल

उप पंजीयक, भादसोड़ा

आज दि. 19/11/ सन् 2007 को
पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 29 क्रम सं. 456/07
पर पृ.सं. 47 [illegible]
अति.पु.सं.1 जिल्द सं. 45 [illegible]
प.सं. 1746 से 1748पर

उप पंजीयक
भादसोड़ा
जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

E 163277

पट्टा विलेख

यह पट्टा विलेख आज 30-10-2007 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल, जिसे आगे "पट्टा-प्रदाता कहेंगे और जिस अभिव्यक्ति में जब तक विषय या संदर्भ में अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञा अभिहस्तांकिती सम्मिलित है, एक पक्ष और दूसरे पक्ष में दी स्टुडेन्ट्स रिलिफ सोसायटी, जयपुर जिसे आगे 'पट्टेदार' कहेंगे और जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि विषय या संदर्भ में अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अभिरतांकिती सम्मिलित है, के मध्य किया गया है।

चूंकि पट्टाप्रदाता, नीचे बताई गई शर्तो पर, पट्टेदार को 25 वर्ष की अवधि के लिये उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिये सहमत हुआ है।

अब यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है:-

(P.M. Sharma)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

50 28 26/10/07
द स्टूडेन्ट
सिलिपि 50
सोसायटी जयपुर
प्रेमनारायण शर्मा जयपुर
कार्यालय एकार २

रं.नं. 65 (26155A)
19/11/2007

फीस
रजिस्ट्री 100=00
प्रतिलिपि 100=00
निरीक्षण
कमीशन
अन्य
योग 200=00

उप पंजीयक, भादसोड़ा

आज दि. 19 माह 11 सन् 2007
और कार्यालय समय के उप पंजीयक
प्रेमनारायण शर्मा
स्व पुत्र श्री ओ. एल. शर्मा जाति शर्मा
निवासी निदेशक एस आर सोसायटी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।
हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता उप पंजीयक, भादसोड़ा

आज दि. ... माह ... सन् ...
और ... बजे के मध्य ... के उप पंजीयक
के कार्यालय में श्री ...
पुत्र ... जाति ...
निवासी ... द्वारा प्रस्तुत किया गया।
ह प्रस्तुतकर्ता उप पंजीयक, भादसोड़ा

मान. जिला कलेक्टर महोदय
चित्तौड़गढ़
लीजडीड पत्र विलेख का पंजीयन

निदेशक
सोसाइटी
जयपुर